



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 3-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 9, 2018 (PAUSA 19, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 09 जनवरी, 2018

संख्या 09/एसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 (हिन्दी पाठ) में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, तथा प्रथम जुलाई, 2017 से संशोधित की गई समझी जाएंगी, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 (हिन्दी पाठ) में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 2 के सामने, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
“किसी वरिष्ठ अधिवक्ता सहित कोई व्यष्टिक अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की फर्म।” तथा
- (ii) क्रम संख्या 5 के सामने, खाना (2) में, मद (2) में, उप मद (i) में, “प्रशासन से” शब्दों के स्थान पर, “या स्थानीय प्राधिकरण से” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।